कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 525 / 12–1 :देहरादून:दिनांक: 16 सितम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत गौजाजाली में आंवला चौकी गेट–मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/Others/155392/2022)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 08 / 2023 / एफ0सी0 / 1583 दिनांक 16.02.2023.

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रयोजन हेतु भूमि का चयन गैर वन भूमि में किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के निर्देश के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त परियोजना हेतु गैर वन भूमि के अन्य विकल्पों हेतु जिलाधिकारी नैनीताल से विचार–विमर्श / दिशा–निर्देश चाहने हेतु लिखा गया, जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी–नैनीताल के आदेश के अनुपालन में दिनांक 26.06.2023 को पुनः उक्त परियोजना हेतु क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्रांक 693 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2023–24 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त निरीक्षण आख्या से प्रतीत होता है कि राजस्व भूमि आबादी के समीप होने के कारण उपयुक्त नहीं है। क्रियाशाला हेतु आंवला चौकी मुस्कान केन्द्र के बांयी ओर लगभग एक बीघा अर्थात 0.063 है0 वन भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जो कि वृक्ष विहीन है। आबादी से दूर होने के कारण उक्त वन भूमि पर क्रियाशाला निर्माण किया जाना उचित होगा।

अतः वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,
16/9/23
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 525 / 12–1 तददनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।